रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 1983/वैशाख 31, 1905
No. 227] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 1983/VAISAKHA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 1983

आदेश

का० आ० 372 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का० आ० संख्या 363 (अ) तारीख 22 मई, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता (टीटागढ़ एकक), कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध 22 मई, 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश संख्या का० आ० 201 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 1979 द्वारा सचिव, बन्द और रुग्न उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स, वैस्टिंग हाउस सैक्सबी फर्मर लिमिटेड, कलकत्ता से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 22 मई, 1976 से पांच वर्ष की शेष अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 377 (अ) तारीख 21 मई, 1981 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकृत व्यक्ति को 22 मई, 1981 से दो वर्ष की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अपने पास बनाए रखने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास 22 मई, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहना चाहिए। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उस प्रभाव की अनुज्ञा के लिए निवेदन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया था, और उक्त उच्च

न्यायालय ने तारीख 18 मई, 1983 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 22 मई, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा०सं० 4(14)/83-सी०यू०एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 21st May, 1983

ORDER

S.O. 372(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 363(E) dated the 22nd May, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that Order to take over the managtment of the Industrial Undertaking known as Messrs Britannia Engineering Company, Calcutta (Titagarh Unit), (hereinafter referred to as the said Industrial Undertaking) for a period of five years from the 22nd May, 1976 ;

And, whereas, the Central Government vide its Order No. S.O. 201(E), dated the 11th April, 1979, authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the authoristd person), to take over the management of the said Industrial Undertaking from Messrs Westinghouse Saxby Farmer Limited, Calcutta, for the remaining period of five years from the 22nd May, 1976 ;

And, whereas, by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 377(E), dated the 21st May, 1981 the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said Industrial Undertaking for a further period of two years from 22nd May, 1981 ;

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in the public interest that the authorised person should continue to manage he said Industrial Undertaking for a further period of one year from 22nd May, 1983, made an application to the Calcutta High Court praying for the permission to that effect, under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and that the said High Court has, by its Order dated the 18th May, 1983 granted the said permission ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Govtrnment hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a furtlier period of one year from 22nd May, 1983.

[F. No. 4(14)/83-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983